(हरमिंदर सिंह मदान, जे.)

हरमिंदर सिंह मदान जे. के समक्ष

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड-अपीलार्थी

बनाम

वीना देवी और ओआरएस।

प्रतिवादीगण 2017 का एफ. ए. ओ. सं. 3596

07 दिसंबर, 2022

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-मोटर वाहन अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में एक दिन की देरी-आयोजित-कल्याणकारी कानून का एक हिस्सा है जिसमें साक्ष्य और प्रक्रिया के सख्त नियम लागू नहीं होते हैं।

माना जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 कल्याणकारी कानून का एक हिस्सा है। यह संसद द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के साथ-साथ पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधियों को राहत प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिन्होंने दुर्भाग्य से ऐसी दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी थी। साक्ष्य और प्रक्रिया के सख्त नियम वहां लागू नहीं होते हैं।मुकदमे के दौरान किसी व्यक्ति के आपराधिक दायित्व का निर्णय करते समय देरी प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन यहां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावा याचिका पर निर्णय लेते समय देरी को अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है।अ

(पैरा 13)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन के प्रकार और चालक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य आपराधिक तंत्र को गति देना है, और प्रकार और वाहन का उल्लेख न करने से बीमा कंपनी को मदद नहीं मिलेगी।

माना गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य आपराधिक तंत्र को गति देना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अक्सर जल्दबाजी में दर्ज की जाती है और इसमें घटना का संक्षिप्त विवरण और सटीक विवरण नहीं हो सकता है। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है, जो घटना का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता है। मामले की जाँच के दौरान ही पुलिस को अपराधी के बारे में पता चल सकता है, जिसने अपराध किया था। इसलिए, वाहन के प्रकार और उसके चालक के रूप में विक्रम सिंह के नाम का उल्लेख न करने से बीमा कंपनी को यह मामला विकसित करने में मदद नहीं मिलती है कि उल्लंघन करने वाले वाहन ने दुर्घटना नहीं की थी और केवल मुआवजा पाने के लिए गलत तरीके से लगाया गया था।

(पैरा 15)

प्रदीप गोयल, अधिवक्ता, एफ. ए. ओ.-3596-2017 में अपीलार्थी के लिए और एफ. ए. ओ.-4017-2019 में प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

गुरमीत कौर, अधिवक्ता राजेश दुहान की ओर से अधिवक्ता, एफ. ए. ओ.-4017-2019 में अपीलार्थियों की ओर से और एफ. ए. ओ.-3596-2017 में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

एच. एस. मदान, जे.

सी.एम्-13371-सी.आई. आई.-2019 और

सी.एम् -13372- सी.आई.आई.-2019

आवेदनों में उल्लिखित कारणों के लिए, उन्हें अनुमति दी जाती है और अपील को फिर से दायर करने में 309 दिनों की देरी और अपील दायर करने में 176 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

एफएओ-3596-2017 (ओ एंड एम) और

एफएओ-4017-2019 (ओ एंड एम)

(1) इस आदेश द्वारा, मैं अपीलार्थी की ओर से दायर दो एफ. ए. ओ. अर्थात एफ. ए. ओ.-3596-2017 का निपटारा करूंगा-न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एफ. ए. ओ.-4017-2019 अपीलार्थी की ओर से दायर- श्रीमती वीना देवी और अन्य, जो एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुए हैं।

(2) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि 25.10.2014 पर लगभग 7:30 बजे शाम को स्वर्गीय महादेव यादव का बेटा मंज्या यादव गाँव नारू खीरी से गाँव पिंगली की ओर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जिसे सड़क के बाईं ओर मध्यम गति से चलाया जा रहा था; एक रवि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था; इस बीच उत्तरदाता नंबर 1 विक्रम सिंह द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा एक टाटा ऐस पंजीकरण नंबर HR 45-A- 2652 (जिसे इसके बाद अपमानजनक वाहन के रूप में संदर्भित किया गया है) चला रहा था और तेज गति से पीछे से आया और गलत तरफ जाने से, यह मंज्या यादव की मोटरसाइकिल से टकरा गया; परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल के दोनों सवार जमीन पर गिर गए और उनके व्यक्तियों पर कई गंभीर और गंभीर चोटें आईं। मंजय यादव की घटना स्थल पर मौत हो गई जबकि रवि ईलाज के लिए अस्पताल भेजा गया भा.द.स. की धारा 279 और 304-ए के तहत अपराधों के लिए औपचारिक एफ. आई. आर. No.750 दिनांक 26.10.14 प्रतिवादी नंबर 1-विक्रम सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर, करनाल में दर्ज की गई थी।

(3) मृतक की कानूनी प्रतिनिधियों, अर्थात् उसकी विधवा-वीना देवी, नाबालिग बेटी-पूजा कुमारी, नाबालिग बेटा-शुभम कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 166 के तहत न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1-विक्रम सिंह-उल्लंघनकारी वाहन के चालक-सह-मालिक और इसके बीमाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2-न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लेफ्टिनेंट, करनाल, मृतक की मां स्वर्गीय श्री महादेव यादव की पत्नी को प्रोफार्मा प्रतिवादी के रूप में आरोपित पर दावा याचिका दायर की थी।

(हरमिंदर सिंह मदान, जे.)

(4) नोटिस पर, प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 उपस्थित हुए और दावा याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते हुए एक प्रतियोगिता की पेशकश की।

(5) गुण-दोष के आधार पर मुद्दे तैयार किए गए थे।

(6) पक्षकारों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे।

(7) दलीलें सुनाने के बाद दावा याचिका मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण करनाल (इस के बाद न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित द्वारा स्वीकार कर ली गई ओर दावेदारों को उत्तरदायित्व को नंबर 1 ओर 2 द्वारा रुपए 16,64,300/- प्रतिवर्ष 7% की दर से ब्याज सहित प्रदान किया गया

(8) दावेदारों और बीमा कंपनी ने इस फैसले से पीड़ित महसूस किया और उन्होंने इस अदालत के समक्ष अलग-अलग अपील दायर की हैं।

(9) मैंने अभिलेख को देखने के अलावा पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

(10) जहाँ तक बीमा कंपनी द्वारा दायर एफ. ए. ओ.-3596-201 का संबंध है, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उल्लंघन करने वाला वाहन यानी टाटा ऐस पंजीकरण No.HR45-A, 2652 दुर्घटना में शामिल नहीं था और इसे केवल दावेदारों को मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए लगाया गया था क्योंकि उस वाहन का बीमा अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के साथ किया गया था। प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष लौटाते हुए गलती की कि प्रतिवादी संख्या 1 विक्रम सिंह ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना की थी।

(11) अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख को देखने के बाद, मैंने पाया कि बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए इन तर्कों में योग्यता की कमी है। प्राधिकरण अपने समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उचित विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दुर्घटना वास्तव में विक्रम सिंह-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विचाराधीन उल्लंघनकारी वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। यह निष्कर्ष निकालते समय, प्राधिकरण ने दुर्घटना के एक चश्मदीद, पीडब्लू 2 संजय कुमार की गवाही पर भरोसा किया था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दुर्घटना विक्रम सिंह-प्रतिवादी नंबर 1 के कारण हुई थी, जब वे लापरवाही और असावधानी से आपत्तिजनक वाहन चला रहे थे। उन्होंने कहा कि मृतक द्वारा मोटरसाइकिल को मध्यम गति से चलाया जा रहा था और उल्लंघन करने वाला वाहन चालक यातायात नियमों का पालन किए बिना जल्दबाजी और लापरवाही से पीछे से आया और मृतक द्वारा पीछे से चलाई जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और उसके बाद उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक मौके से भाग गया। प्राधिकरण ने आगे कहा था कि मृतक के एक भाई पीडब्लू 2 संजय कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह वही था जिसने दुर्घटना के संबंध में प्रदर्शित पी/5 के रूप में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। इस गवाह की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

(12). प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में एक दिन की देरी के संबंध में, न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि दुर्घटना 25.10.2014 की शाम के समय हुई थी और अगले दिन सुबह 10.40 पर प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट केवल 14-15 घंटों की देरी के साथ दर्ज की गई, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत समझाया गया है। मैं इस संबंध में न्यायाधिकरण से असहमत नहीं हूँ। मृतक के भाई ने अपने भाई को घायल अवस्था में देखा, तो उसकी पहली प्राथमिकता उसे अस्पताल ले जाना होता ताकि उसे तत्काल चिकित्सा सहायता दी जा सके, बजाय इसके कि उसे मौके पर ही छोड़ दिया जाए और पहले पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।

(13) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 कल्याणकारी कानून का एक हिस्सा है।यह संसद द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के साथ-साथ पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधियों को राहत प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिन्होंने दुर्भाग्य से ऐसी दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी थी। साक्ष्य और प्रक्रिया के सख्त नियम वहां लागू नहीं होते हैं। मुकदमे के दौरान किसी व्यक्ति के आपराधिक दायित्व का निर्णय करते समय देरी प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन यहां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावा याचिका पर निर्णय लेते समय देरी को अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है।प्रतिवादी नंबर 1-चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण इस दुर्घटना के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए भेजा गया है और वह मुकदमे का सामना कर रहा है।दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अप्रमाणित हो गए हैं। प्रतिवादी नंबर 1-विक्रम सिंह चालक गवाह-बक्से में इस बात से इनकार करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ कि उसने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना की थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित आर/1 और उल्लंघन करने वाले वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्शित आर 2 और अन्य दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत करने के बाद अपने साक्ष्य को बंद कर दिया है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उल्लंघन करने वाला वाहन यानी टाटा ऐस No.HR 45A-2652 दुर्घटना में शामिल नहीं था और इसे बाद में शामिल किया गया है।

(14) जहां तक अपीलकर्ता बीमा कंपनी के विद्वान वकील के इस तर्क का संबंध है कि प्राथमिकी में न तो चालक और न ही वाहन के प्रकार का नाम है। जिसके कारण दुर्घटना हुई, का उल्लेख किया गया है, जो दावेदारों के मामले को संदिग्ध बनाता है; जैसा कि आम तौर पर देखा गया है जब दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो सूचना देने वाले को कभी-कभी दुर्घटना में शामिल वाहन के प्रकार और उसे चलाने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं होता है। सूचना देने वाला घटना का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता है।

(15) प्रथम सूचना रिपोर्ट सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य आपराधिक तंत्र को गति देना है। प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट अक्सर जल्दबाजी में दर्ज की जाती है और इसमें घटना का संक्षिप्त विवरण और सटीक विवरण नहीं हो सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है, जो घटना का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता है।मामले की जाँच के दौरान ही पुलिस को अपराधी/अपराधिक के बारे में पता चल सकता है, जिसने अपराध किया था। इसलिए, वाहन के प्रकार और उसके चालक के रूप में विक्रम

सिंह का नाम, जो दुर्घटना का कारण बना, का उल्लेख न करने से बीमा कंपनी को यह मामला विकसित करने में मदद नहीं मिलती है कि उल्लंघन करने वाले वाहन ने दुर्घटना नहीं की थी और केवल मुआवजा पाने के लिए गलत तरीके से लगाया गया था।

(16) बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा की गई याचिका के संबंध में कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय कोई वैध या प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और कई कारणों से जैसे कि वह हरियाणा का स्थायी निवासी था और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, वह नागालैंड से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता था; दूसरा, लाइसेंस प्राधिकरण, नागालैंड ने अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, इसके अलावा चालक का लाइसेंस स्मार्ट कार्ड नहीं है और दुर्घटना के समय इसे अमान्य माना जाना चाहिए।

(17) हालाँकि, प्राधिकरण ने अपने निर्णय में अपीलकर्ता बीमा कंपनी की इस याचिका को स्वीकार नहीं किया है और मुझे अपनी ओर से उस बिंदु पर प्राधिकरण से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है।बीमा कंपनी पर यह दिखाने की जिम्मेदारी थी कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास संबंधित समय पर कानूनी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही है।

(18) विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या न. 9027 में सर्वोच्च न्यायालय 2003 राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य एसएलपी के साथ, निर्णय की तारीख 5.1.2004 होने के कारण, यह पाया गया था कि बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत उपलब्ध सभी बचावों को उठाने का हकदार है, हालांकि केवल अनुपस्थिति, प्रासंगिक समय पर नकली या अमान्य लाइसेंस बीमाकृत या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं हैं क्योंकि बीमाकृत के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को बीमाकृत को लापरवाही और विफलता का दोषी साबित करना नीति की शर्तों के अनुपालन में उचित सावधानी बरतें। बीमाकर्ता पर प्रमुख ठोस साक्ष्य द्वारा नीति के उल्लंघन को स्थापित करने का बोझ है और बीमित व्यक्ति द्वारा केवल लाइसेंस या साक्ष्य प्रस्तुत न करने को बीमाकर्ता के बोझ का निर्वहन नहीं माना जा सकता है।

(19) इसलिए, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकती है और पुरस्कार के तहत दायित्व से इनकार करना शुरू नहीं कर सकती है।

(20) अब मुआवजे की मात्रा पर आते हैं।

(21) अपीलार्थी-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मृतक एक अकुशल मजदूर था, हालाँकि, उसकी आय डी. सी. दरों के अनुसार ली गई थी, जबकि इसे श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत तय किया जाना चाहिए था, जो 5639.50 था।हालांकि, प्राधिकरण ने पंजाब सरकार के एफ. डी. पत्र. संख्या न. 7084-F-41/6057 (सामान्य वित्तीय I) दिनांक 21.11.1941 में निहित निर्देशों के अनुसार जारी उपायुक्त के आदेश के संदर्भ में मृतक की मासिक आय 8,100/- रुपये मानी थी, जिसमें वर्ष

2014-15 के लिए अकुशल श्रमिक के लिए मजदूरी की अधिकतम दर 8,100/- रुपये निर्धारित की गई थी। इसलिए, प्राधिकरण ने इस तरह का आंकड़ा लिया।

(22) प्राधिकरण को ऐसा करने में दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि मृतक की आय का आकलन करना जहां ऐसी आय का कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं है, कुछ हद तक मुश्किल काम है। प्राधिकरण को मृतक के समान शैक्षणिक योग्यता रखने वाले समान रूप से तैनात प्रशिक्षित व्यक्ति की आय पर विचार करना होगा। कुछ मात्रा में अनुमान और अनुमान भी शामिल हैं। पंजाब सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए 8,100/- रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित करने के निर्देशों के आधार पर जारी किए गए डी. सी. द्वारा पारित आदेश से मार्गदर्शन लेने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है और इसे निश्चित रूप से उच्च पक्ष नहीं कहा जा सकता है।

(23) लेकिन दावेदारों के मामले के अनुसार, मृतक मैसर्स शिव राइस मिल्स, पिंगली, जिला करनाल में लेखाकार के रूप में काम कर रहा था और प्रति माह Rs.12,000/- प्राप्त कर रहा था। इस तथ्य को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने पी. डब्ल्यू. 3 हरि राम, ठेकेदार से पूछताछ की थी, जिन्होंने अपने हलफनामे में कहा था कि वह शेलर/राइस मिल्स, कारखानों और व्यावसायिक संस्थानों को मजदूरों और कार्यालय कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए थे और उन्होंने मृतक मंजय को शिव राइस मिल्स, करनाल में लेखाकार के रूप में प्रति माह 12,000/- रुपये के वेतन पर नियुक्त किया था।

(24) प्राधिकरण ने दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के ऐसे टुकड़े को इस कारण से गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया कि नियोक्ता या कर्मचारी दावेदारों द्वारा चावल मिलों की जांच नहीं की गई थी। एक बार जब श्रम ठेकेदार, जिसके माध्यम से मृतक की सेवाओं को काम पर रखा गया था, की जांच की गई थी, तो चावल मिल के किसी भी नियोक्ता या उसके किसी भी कर्मचारी की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।मेरे विचार में मृतक की आय को Rs.12,000/- के रूप में लिया जाना चाहिए।

(25) प्राधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई राशि नहीं जोड़ी है। प्राधिकरण के अनुपात को देखते हुए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य 1, को ध्यान में रखते हुए मृतक की आयु, राशि का 40 % भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाना है। ऐसा करने से मृतक की मासिक आय रुपए 12,000 + 4800 = Rs.16,800/- के रूप में ली जाती है।

(26) प्राधिकरण ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए राशि का एक चौथाई हिस्सा काट लिया है।ऐसा करने से दावेदारों की निर्भरता Rs.12,600/-(16800-4200) प्रति माह हो जाती है, वार्षिक निर्भरता Rs.12 600 x 12 =1,51,200-हो जाती है।

(27) प्राधिकरण ने 17 के गुणक का सही उपयोग किया है प्राधिकरण का अनुपात श्रीमती. सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्र। 2.ऐसा करने से रुपए 1,51,200x17=25,70,400/- मुआवजा मिलता है

(28) पारंपरिक शीर्षों के तहत प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता संख्या 1-वीणा देवी को संघ के नुकसान के लिए 1 लाख रुपये का फैसला सुनाया है।याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को देखभाल और मार्गदर्शन के नुकसान के लिए प्रत्येक को 1 लाख रुपये और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 3 को 1 लाख रुपये, जो प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए मृतक की मां है और इसके अलावा याचिकाकर्ताओं को अंतिम संस्कार और बाद के खर्चों के लिए रुपए 25,000/- की राशि से सम्मानित किया गया।

(29) हालाँकि, उस संबंध में कानूनी स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय यानी मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू द्वारा बाद के फैसले में स्पष्ट किया गया है। 3, जिसमें यह देखा गया कि प्रत्येक दावेदार को फाइलियल कंसोर्टियम के लिए Rs.40,000/- की राशि दी जानी है I राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम निर्णय का दृष्टिकोण जो यह प्रावधान करता है कि पारंपरिक शीर्षों, अर्थात् संपत्ति की हानि, संघ की हानि और अंतिम संस्कार के खर्चों के तहत देय मुआवजे का निर्धारण करते समय रुपए 15,000, रुपए 40,000/- और रुपए 15,000/- क्रमशः दिए जाने चाहिए।

1 2017 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 1009

2 2009 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 77

3 2018 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 333

(30) ऐसा करने से क्षतिपूर्ति Rs.27,60,400/(25,70,400 + 40000+40000 + 40000+40000 + 15000+15000) निकलती है।

(31) इस तरह, बढ़ी हुई राशि Rs.10,96,100/- (27,60,400-16,64,300) पर आ जाती है।चूंकि एफ. ए. ओ.-4017-2019 को 485 दिनों (309+176) की देरी से दाखिल किया गया है, इसलिए अपीलकर्ता/दावेदार अपील दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।राहत खंड में दिए गए अन्य नियम और शर्तें बढ़ी हुई राशि पर भी लागू होंगी।

(32) इस प्रकार बीमा कंपनी द्वारा दायर एफएओ-3596-2017 को खारिज कर दिया जाता है, जबकि उपरोक्त संशोधन के साथ, अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा दायर एफएओ-4017-2019 को आंशिक रूप से लागत के साथ अनुमति दी जाती है।

(33) चूँकि एफ. ए. ओ.-3596-2017 को खारिज कर दिया गया है और एफ. ए. ओ.-4017-2019 को आंशिक रूप से लागत के साथ अनुमति दी गई है, इसलिए विविध आवेदन, यदि कोई हो, का तदनुसार निपटान किया जाता है।

अंकित ग्रेवाल

आशा रानी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।